

1. ग्रीस हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैज्ञानिक खोल में कोई परिवर्तन नहीं होता और वह भी पूर्व की भाँति खोल या आरखिल वन ग्रीस बनी रहती।
2. प्रचुरता ग्रीस की उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायोग अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. यावक विमान प्रस्तावित ग्रीस अथवा उसके किसी भी भाग की किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. ग्रीस को संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि ग्रीस गार्ड ग्रीस न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक ग्रीस उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरण विमान उसके कर्तव्यों, अधिकारों अथवा ठेकेदार वन ग्रीस को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायोग और ऐसा किया जाने पर संभावित वनाधिकारी द्वारा निश्चित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यावक विभाग सहमत है।
6. ग्रीस का संश्लोकन यावक विमान अपने व्यय से संभावित वनाधिकारी की देख-रेख में करायोग तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे और की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन ग्रीस पर वन विभाग के कर्तव्यों की निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरण विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुसंख्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासंभव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाने सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही ग्रीस हस्तान्तरित की जायेगी।
9. रिहाई विमान/जल विमान द्वारा वन विभाग की नरीरियाँ पौधों को एवं वन विभाग के कर्तव्यों की निरीक्षण जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. यावक विमान द्वारा हस्तान्तरित वन ग्रीसियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विमान संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर ग्रीस स्वतः जिना किसी प्रकार का भुगतान नहीं करेगा वन ग्रीस पर निहित भवन आदि स्वतः जिना किसी प्रकार का भुगतान नहीं करेगा वन ग्रीस को फेर बदल कर पक्का करना यावक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और न ही नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सांठिनिधि द्वारा प्राप्त किया जायोग तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियान्त, सांठिनिधि के अतिरिक्त मुख्य अभियान्त, पर्वत क्षेत्र पौड़ी की संभावित पत्र संस्था 608 सीओ दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सांठिनिधि द्वारा किया जायोग कि अथवा ग्रीस कि वन भागों को फेर बदल कर पक्का करना यावक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और न ही नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन ग्रीस को मुख्य संभावित विनाशिकारी द्वारा प्रदत्त मुख्य संभावित प्रमाण-पत्र के आधार पर आकलित होगा जो यावक विभाग को प्राप्त होगी।
13. वन ग्रीस पर खड़े वृक्षों का निरक्षण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे यावक विभाग द्वारा वृक्षों का बालार माद पर ग्रीस देखे जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरक्षण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो हस्तान्तरित ग्रीस पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में यावक विभाग द्वारा हस्तान्तरित ग्रीस के समस्त वृक्षादिपत्र का भुगतान अथवा समस्त वृक्ष ग्रीस में वापसी के लिए उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित ग्रीस के टुकड़े ग्रीस में वापसी के क्षेत्रों में वृक्षादिपत्र तथा 3 वर्ष तक परिवर्तितना समस्त वृक्ष ग्रीस में वापसी के लिए उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित ग्रीस के टुकड़े ग्रीस में वापसी के क्षेत्रों में वृक्षादिपत्र तथा 3 वर्ष तक परिवर्तितना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान यावक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निहित है, इसी प्रकार बाँस के वृक्षों पर पालन भी वर्तित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन विभाग के ऊपर से हित ले जाने में यथासंभव वृक्षों का कटन नहीं किया जायोग या खस्यों की ऊँचाई करके इसे सुनिश्चित किया जायोग। यदि फिर भी वृक्षों का कटन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम वृक्षों की संस्था संयुक्त स्थल निरीक्षण करके निर्णय लिया जायेगा। यदि फिर भी वृक्षों का कटन नहीं किया जायोग या खस्यों की ऊँचाई करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा।
16. यदि नहर आदि निर्माण में नू-संरक्षण की सम्मति होगी है और नहर की दीवारों परिटियों की पक्का करना अगर आवश्यक समझा जायेगा है तो ऐसा यावक विभाग स्वयं अपने व्यय से करेगा।
17. उत्पीड़ित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार में कोई अन्य शर्त लगाई जायेगी है तो यावक विभाग को मान्य होगी।
18. वन ग्रीस का वारंवारिक हस्तान्तरण ग्रीस किया जाये, जब उचित शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उक्तका सुनिश्चित स्तर से आधुनिक प्राप्त हो जाये।
19. पालन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों यावक विभाग को मान्य है।

3000 0000
1234567890

11. 2. 1982

112312020102

2020 0504E

ሥራዊቱ ቀርቷል

123456789101112

31018 052018

ሥራዊቱ ሥራዊቱ